

अब कैबिनेट की पूर्व मंजूरी अनिवार्य

► पारदर्शिता और जवाबदेही सुदृढ़ होगी इस निर्णय से

► दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते अत्यंत महत्वपूर्ण

नवभारत समाचार
भोपाल, 14 मई. मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि नये दीर्घकालीन और मध्यकालीन बिजली खरीद समझौते (पीपीए) और बिजली आपूर्ति समझौते (पीएसए) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू किये जा सकेंगे. यह निर्णय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

अब तक समझौते कंपनी के बोर्ड और डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किए जाते थे, लेकिन अब सभी नए समझौतों के लिए कैबिनेट स्तर की मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है. ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार पहले से मौजूद लगभग 1,795 छोटे, बड़े

पीपीए और पीएसए के लिए नीति में महत्वपूर्ण बदलाव



अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने बताया कि बोर्ड ने गहन विचार-विमर्श के बाद वर्तमान ऊर्जा की उपलब्धता और राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की वर्तमान एवं भविष्य की व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड का यह प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के समक्ष रखा जाएगा. उसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा.

एवं लघु तथा दीर्घ अवधि के बिजली खरीद समझौतों और 26,012 मेगावाट की क्षमता के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश में निर्वाध विद्युत सप्लाई कर रही है. साथ ही मध्यप्रदेश एनर्जी सरप्लस राज्य के रूप में कार्य कर रहा है.

इस नीति में बदलाव का प्रमुख कारण यह है कि दीर्घकालीन

बायोमास, सोलर बेट्टी स्टोरेज, पम्प हाउडो स्टोरेज, न्यूक्लियर एनर्जी जैसी कई नई तकनीकों से उत्पादित होने वाली ऊर्जा के अनुबंधों के प्रस्ताव आ रहे हैं, इस बारे में राज्य शासन और वित्त विभाग के परामर्शों को आवश्यकता महसूस हो रही है.

मध्यप्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र वर्तमान में अत्यंत मजबूत है और इसमें राज्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है. सौर, पवन, धर्मल और अन्य नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से राज्य की बिजली की जरूरतें पूरी हो रही हैं. यह निर्णय राज्य की बिजली आपूर्ति को स्थिर रखने और भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है. इससे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शासन को बढ़ावा देगा. इससे सभी नई बिजली खरीद योजनाएं अधिक सुविचारित और राज्य की ऊर्जा नीति के अनुरूप होगी.

सात वर्षीय बच्ची की हत्या से सनसनी

मुरैना. मध्यप्रदेश में मुरैना जिले के चिन्नीनी थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना चिन्नीनी थाना क्षेत्र के रामलाल के पूरा गांव की है. जिले के कैलारस विकासखंड के ग्राम इटौरा निवासी बलराम जाटव अपनी पत्नी और सात वर्षीय बेटी तनु के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गांव पहुंचे थे. सूत्रों ने बताया कि भात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बलराम अपनी बच्ची के साथ रात में सो गया था. सुबह जागने पर बच्ची बिस्तर पर नहीं मिली. इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान गांव के समीप एक गुफानुमा गुहे में बच्ची का शव बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक बच्ची के दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसके शरीर पर कपड़े सलीके से पहने हुए थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कैलारस भेज दिया है. पुलिस ने कहा कि यह नवीन एसडीएम कार्यालय भवन केरल एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, सुशासन और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

विकास के साथ सुशासन भी हमारी प्राथमिकता : कुंवर

► कुसमी में नए एसडीएम भवन का शुभारंभ

नवभारत न्यूज
सीधी 14 मई, जिले के कुसमी उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई, जब धीरही विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने 131 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वसुविधायुक्त नवीन एसडीएम कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन अब उपखंड क्षेत्र के लगभग 129 गांवों के नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्यामवती सिंह, जिला पंचायत सदस्य हीराबाई सिंह, ग्राम पंचायत भगवार की सरपंच चेतना सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम कुसमी शैलेश द्विवेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ज्ञानेंद्र मिश्रा, तहसीलदार नारायण सिंह सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि यह नवीन एसडीएम कार्यालय भवन केरल एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, सुशासन और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने



की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्रवासियों को जर्जर भवन में प्रशासनिक कार्यों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन के शुरू होने से लोगों का सम्मानजनक और व्यवस्थित वातावरण में सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सुविधाओं को सरलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वित प्रयासों से क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है और आगे भी जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि इस नवीन भवन के माध्यम से आम नागरिकों के कार्यों का त्वरित, संवेदनशील और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनगणना कार्य में लगे प्राणणों की सरहना करते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारीयों के सम्पर्ण से ही शासन की योजनाएं प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचती हैं। करीब 131 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह नवीन

भवन पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन में अलग-अलग कार्यालय कक्ष, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक् शौचालय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रतीक्षा कक्ष, अधिकारियों के लिए संचालन कक्ष तथा बेहतर बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं अनिवार्य सुरक्षा हेतु फायर सेफ्टी उपकरण भी स्थापित किए गए हैं। सभी कक्षों में पंखे एवं कूलर की व्यवस्था की गई है तथा विधायक द्वारा स्वच्छ पेयजल के लिए आओ सिस्टम उपलब्ध करने की घोषणा भी की गई। उल्लेखनीय है कि अब तक एसडीएम कोर्ट का संचालन पुराने तहसील भवन में किया जा रहा था, जिसकी स्थिति खराब थी। दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। नवीन भवन के शुरू होने से यह समस्या समाप्त हो गई है और लोकार्पण के दिन से ही एसडीएम कोर्ट का संचालन नए भवन में प्रारंभ कर दिया गया।

संभागायुक्त ने किया खुटार गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण

2 दिवस में 90 प्रतिशत उठाव और खराब मौसम से सुरक्षा के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 14 मई। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद द्वारा आज खुटार उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का सघन जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने उपार्जन की वर्तमान गति और केंद्र पर अनाज के भंडारण की स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों और परिवहन कर्ताओं को निर्देश दिए कि अगले दो दिवस के भीतर केंद्र से 90 प्रतिशत गेहूं का उठाव अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाकर ही केंद्र पर किसानों के लिए सुगम व्यवस्था बनाई जा सकती है।



वर्तमान में बदलते मौसम और असामयिक वर्षा की संभावना को देखते हुए उन्होंने गेहूं की सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि उपार्जित गेहूं को भीगने से बचाने के लिए तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए और जल निकासी के उचित प्रबंध किए जाएं, ताकि किसानों की मेहनत को उपज पूरी तरह सुरक्षित रहे। किसानों को तौल कार्य के लिए

जामोद द्वारा आज ग्राम पंचायत जगहा का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने सिंह देव महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा संचालित कोदो-कुटकी प्रसंस्करण यूनिट का विस्तृत अवलोकन किया।

कमिश्नर ने यूनिट की कार्यप्रणाली को समझा और वहां स्थापित आधुनिक मशीनों के माध्यम से स्थानीय मोटे अनाजों श्री अन्न के प्रसंस्करण की प्रक्रिया देखी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किस प्रकार पारंपरिक फसलों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनके मूल्य में वृद्धि की जा रही है, जिससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता सुधर रही है बल्कि बाजार में उनका मांग भी बढ़ रही है।

स्वरोजगार की दिशा में उठाए गए कदम- कमिश्नर ने सिंगरौली जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम कर्सुआ राजा का आकस्मिक दौरा संचालित किया। यहाँ उन्होंने स्थानीय युवा संदीप शाह द्वारा संचालित सुगीपालन फार्म का बारीकी से अवलोकन किया। इस निरीक्षण के दौरान सिंगरौली कलेक्टर और सहायक कलेक्टर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की दिशा में उठाए गए इस कदम की सराहना की और युवा उद्यमी का उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने फार्म संचालक से मुर्गियों की नस्ल, उनके दाने-पानी, स्वास्थ्य प्रबंधन तथा बाजार में बिक्री की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान

बरगवां थाना क्षेत्र के पचौर गांव की घटना, दो दमकलो ने आग पर पाया काबू

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 14 मई। जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के पचौर गांव में बीते बुधवार की देर रात एक बिजली दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक और बिजली संबंधी सामान जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, पचौर गांव निवासी जयशंकर गुप्ता की बिजली दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही



स्थानीय कंपनियों की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कार्की मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान के अंदर रखा अधिकांश सामान जल चुका था। दुकानदार जयशंकर गुप्ता ने बताया कि दुकान में बिजली उपकरण, तार, पंखे

और अन्य सामग्री रखी थी, जो पूरी तरह जल गई। इस आगजनी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से आर्थिक सहायता की मांग की है। बरगवां थाना प्रभारी मो. समीर ने बताया कि पचौर गांव की बिजली दुकान में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग बुझाई गई। आग लगने के प्रांरंभिक कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं और मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित दुकानदार को उचित मुआवजा और सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

जमीनी विवाद में महिला की बेदम पीटाई

► उपचार के दौरान रीवा मेडिकल कॉलेज में हुई मौत, परिजनों ने किया थाने के सामने हंगामा

नवभारत न्यूज
सरई 14 मई। थाना सरई क्षेत्र के भीखड़ाग्रिया गांव में 11 मई की सुबह जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था। पड़ोसियों के हमले में गंभीर घायल 38 वर्षीय कलावती अग्रिया पति बिहारी लाल अग्रिया की आज गुरुवार को रीवा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।

मौत की खबर के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण



सैकड़ों की संख्या में सरई थाने पहुंचे। थाने में करीब 2 घंटे तक हंगामा कर आरोपियों पर हत्या की धारा बढ़ाने की मांग की। परिजनों के मुताबिक 11 मई सुबह करीब 6 बजे कलावती का पड़ोसी रामभजन अग्रिया से जमीन को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर रामभजन और उसके दो साथियों ने कलावती पर

लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पति बिहारी लाल और बेटी भी घायल हो गए। सिर में गंभीर चोट लगने से कलावती बेहोश हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल बैदुन, फिर संजया गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया गया। आज गुरुवार को सुबह इलाज के दौरान कलावती ने दम तोड़ दिया।

हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अडे- महिला की मौत की सूचना गांव पहुंचते ही परिजन और ग्रामीण थाने पहुंच गए। लोगों ने

आरोपी रामभजन अग्रिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद पुलिस ने समझाझर देकर मामला शांत कराया। वहीं सरई थाना प्रभारी जिवेन्त भदौरिया के अनुसार घटना वाले दिन 11 मई को ही मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपी रामभजन अग्रिया को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम व एमएलसी रिपोर्ट मिलने के बाद धारा 103(1)बीएनएस जोड़ी जाएगी। फिलहाल तनावपूर्ण हालात बने रहे। पुलिस समझाइस देती रही।

आयुक्त ने एएनएम एवं पटवारी को निलंबित करने का दिया फरमान

► जन चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए किया प्रेरित

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 14 मई। रीवा संभाग के आयुक्त बीएस जामोद एवं कलेक्टर गौरव बैनल ने बैदुन क्षेत्र के सबसे दूरस्थ वनांचल पहाड़ी पर स्थित ग्राम अतागोटा का भ्रमण किया। इस दौरान शीर्ष अधिकारियों ने वैगा जनजाति एवं स्थानीय ग्राम वासियों से सीधा जन-संवाद किया।

जन-संवाद के दौरान आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि



क्षेत्र के सभी पात्र ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत दिलाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिर्रा सीईओ जगदीश गोमे, सहायक जिलाधीश सीम्या मिश्रा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जन संवाद में ग्रामीणों ने अपनी गंभीर समस्याएं आयुक्त के समक्ष

आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सीएनएमओ को संबंधित एएनएम को तत्काल निलंबित करने के निर्देशित किया। सचिव का वेतन काटने के भी निर्देश- एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि पंचायत सचिव द्वारा ई-केवाईसी पूर्ण न किए जाने के कारण उस एक वर्ष से दिव्यांग पेंशन नहीं मिली है। आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पंचायत सचिव के वेतन से कटौती कर दिव्यांग महिला को पेंशन राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। वहीं पटवारी के लगातार अनुपस्थित रहने की ग्रामीणों की शिकायत पर आयुक्त ने उन्हें

भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आयुक्त एवं कलेक्टर ने ग्राम के अंतर्गत सीएसआरमद से कराए जा रहे तालाबों के गहरीकरण एवं निर्माण कार्यों का भीतिक निरीक्षण किया। इस दौरान रजन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए आयुक्त ने जल रोकने अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय जन-भागोदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यालय जनपद पंचायत नईगढी जिला मऊगंज (म.प्र.)

क्रमांक / 508 / भण्डार/निविदा आमंत्रण/ज.प./2026

नईगढी दिनांक 12/05/2026

ऑनलाइन ई-निविदा सूचना	
निविदा हेतु समय सारिणी	
क्र.	विवरण
1	ई-टेंडर प्रकाशन की तिथि
2	ई-टेंडर ऑनलाइन जमा करने का आरम्भ तिथि एवं समय
3	ई-टेंडर डायरेक्ट डाउनलोड एवं क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय
4	तकनीकी निविदा खोले जाने का दिनांक एवं समय
5	तकनीकी रूप से सफल निविदाकारी की वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय
● ई-निविदा प्रव्रत शुल्क 2000/- रु.।	
● ई-निविदा हेतु अमानत राशि (EMD) 54000/- रु.।	
● निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखी जा सकती है।	
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढी जिला मऊगंज (म.प्र.)	